न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 40 / 2018

अपीलांट्स–

1. सफूरी पत्नी मजीद खां
2. बसरा पत्नी साहड खां

जाति मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी, रमजान की गफन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. वलीया पुत्री रायधन पत्नी कायम
2. कासम पुत्र कादु
3. अरबाब पुत्र कादु
4. अनवर पुत्र कासम

जाति मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी रमजान की गफन, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

5. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.06.2018 जो उत्तरदाता सं. 5 द्वारा पक्षकारों के खेत खसरा नम्बर 438 / 200, 452 / 204 के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30 / 07 / 2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा रमजान की गफन के खसरा नम्बर 438 / 200 रकबा 106–05 बीघा के खातेदारान सफूरी पत्नी मजीद, वलीया पुत्री रायधन पत्नी कासम, कासम, अरबाब पि0 कादु, बसरां बेवा साहड़, अनवर पुत्र कासम जाति मुसलमान सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2018 तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी रमजान की गफन द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1403 दिनांक 26.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.08.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मूल मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट सं. 1से4 पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को धोखे मे रखकर छल व कपट से नक्शा मे गलत तरमीम की रेखा खींचकर स्वयं के हिस्से मे आने वाली 53 बीघा भूमि के स्थान पर 58 बीघा अपने हिस्से मे बंटवाड़ा दर्शा दिया। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार चौहटन द्वारा बिना मौके पर पैमाईश किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण भी पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश एवं नामान्तरकरण के आधार पर मौका पर काश्त कब्जा अनुसार नक्शा मे तरमीम नही की गई थी जिससे अपीलांट्स को उनके हिस्से से कम भूमि प्राप्त हुई हैं। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। विभाजन नक्शा पर अपीलांट्स ने तहसीलदार चौहटन के समक्ष सम्पूर्ण रजामंदी प्रकट की गई थी, इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नक्शा तस्दीक कर हल्का पटवारी को रेकर्ड मे अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स को जितना हिस्सा खातेदारी आता हैं उतना ही मौका कब्जा अनुसार विभाजित किया गया है, इसमे किसी प्रकार की कोई विधिक या प्रक्रियात्मक भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है मौजा रमजान की गफन के खसरा नम्बर 438/200 रकबा 106–05 बीघा के खातेदारान सफूरी पत्नी मजीद, वलीया पुत्री रायधन पत्नी कासम, कासम, अरबाब पि0 कादु, बसरां बेवा साहड़, अनवर पुत्र कासम जाति मुसलमान सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2018 तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार अपीलांट्स को 53–02 बीघा एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1से4 को 53–03 बीघा भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि रेकर्ड मे रकबा पूरा अंकित किया गया हैं जबकि नक्शा मे तरमीम का अंकन सही नही है जो इस अपील का आधार कतई नहीं हो सकता हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर